न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–06/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00100

उनवान

विजेन्द्र सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र रामरूप जाति ठाकुर निवासी दिनकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

जगन सिंह पुत्र हरिविलास सिंह जाति ठाकुर निवासी नगला दरवेशा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी दिनांक 21.05.2018 उनवानी जगन सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह प्र0स0 02/18

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–26.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 26 में अप्रार्थी/अपीलाण्ट बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा प्रार्थी/रैस्पो0 को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, अप्रार्थी/अपीलाण्ट को जरिये

अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं हुये, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पक्षकारान के मध्य काफी समय पूर्व वहामी बंटवारा हो गया था तथा पक्षकारान बॅटवारे के समय से ही अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 26 में अपीलाण्ट की पुरानी झोपडी पडी हुयी थी जिसके स्थान पर अपीलाण्ट ने मकान का निर्माण करा लिया था, जो दावा दायरी पूर्व का है। प्रार्थी अजनबी क्रेता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये, पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखकर, बिना अपीलाण्ट की सहमति एवं बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये, मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को ना तो अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है एवं ना ही उन्हें पत्रावली कैम्प में रखने बाबत् कोई सूचना ही दी है। अतः अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 330, 1973 पेज 188, 1975 पेज 221, 2008 पेज 762 का उद्धरण पेश किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस ~~उभयपक्ष~~ अपीलांट पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में पेशी दिनांक 06.04.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 12.04.2010 नियत की गयी थी। परन्तु प्रकरण में उक्त दिनांक की कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है एवं प्रकरण सीधे दिनांक 21.05.2015 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखकर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर पक्षकारो को उक्त लोक अदालत की सूचना दिये जाने बाबत् कोई तामील शुदा नोटिस भी संलग्न नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थी/अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्ज करते हुये अंकित किया है कि अप्रार्थी ने जाहिर किया कि उन्हें प्रार्थी के हिस्से से कोई परेशानी नहीं है एवं वह अपने हिस्से को कभी ले सकता है उसका हिस्सा खाली पडा है एवं अन्त में यह भी कहा कि उनका मकान पहले से ही बना हुआ है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ की कोई विवेचना ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे किसी भी प्रकार से

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर कैम्प-चीतौड़

विधिअनुरूप नहीं कहा जा सकता है। स्पष्टतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय नॉन–स्पीकिंग होने से अपास्त होने तथा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किये जाकर पुनः विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय दिनांक 21.05.2018 अपास्त करते हुये पुनः अधिकतम एक माह में विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है तब तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु उभयपक्ष विवादित आराजी को रहन, वय, मुंतकिल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर